रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2010/माघ 15, 1931

No. 217] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2010/MAGHA 15, 1931

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2010

का.आ. 259(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (इसके बाद जे पी एम अधिनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के तहत दिनांक 22 सितंबर, 2009 को जारी आदेश संख्या का. आ. 2409 (अ) के माध्यम से पटसन वर्ष 2009-10 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100% पैकेजिंग के लिए खाद्यान्न और चीनी को आरक्षित किया है।

2. और जबकि जे. पी. एम. अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार यदि इसका मत यह है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जो किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के वर्ग की आपूर्ति अथवा वितरण कर रहे हैं, को इस अधिनयिम की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है।

3. और जबकि पटसन उद्योग में प्रचालन करने वाली ट्रेड यूनियनें 14 दिसंबर, 2009 से पश्चिम बंगाल में स्थित 52 पटसन मिलों में लगातार हड़ताल पर चली गई जिसके कारण पश्चिम बंगाल में मिलों में उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

4. और जबकि केन्द्र सरकार ने चीनी निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के परामर्श से चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर) 2009-10 के दौरान चीनी पैकेजिंग के लिए पटसन बैगों की मांग और पटसन उद्योग की सदृश आपूर्ति क्षमता और हड़ताल के कारण उत्पादन में कमी की समीक्षा की है।

5. और जबकि भारत सरकार ने विचार है कि चीनी मौसम 2009-10 के लिए चीनी उद्योग द्वारा पटसन पैकेजिंग सामग्री की अनुमानित आवश्यकता लगभग 2.01 लाख मी. टन होगी। दिसंबर 2009-जनवरी 2010 के दौरान अनुमानित उत्पादन में कमी लगभग 26,000 मी. टन आंकी गई है। इस प्रकार सरकार का मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि यदि पटसन पैकेजिंग सामग्री में चीनी की पैकेजिंग के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण जारी रखा जाता है तो पटसन उद्योग चीनी मौसम 2009-10 के दौरान चीनी उद्योग की अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होगा।

6. और जबकि चीनी निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आकलन किया गया है कि चीनी उद्योग द्वारा चीनी की पैकेजिंग नवंबर 2009 से शुरू हो गई थी। दिसम्बर 2009-जनवरी, 2010 के दौरान हड़ताल के कारण उत्पादन में कमी से पटसन पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में कमी हो सकती है।

7. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार का यह मत होने के कारण कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है और जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि पटसन वर्ष 2009-10 के दौरान नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित सीमा तक मुख्य आदेश को लागू किए जाने (और इस प्रकार पटसन के अलावा सामग्री में चीनी की पैकेजिंग के लिए अनुमति देते हुए) से छूट प्रदान की जाएगी।

अनुसूची

क्र. सं.	वस्तु	वह मात्रा जिस तक मुख्य आदेश में छूट दी गई है; अर्थात वह मात्रा जिस तक वस्तुओं के उत्पादन को (वस्तुओं के प्रत्येक उत्पादक द्वारा) पटसन के अलावा अन्य पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जा सकता है।
1	2	3
	चीनी	पटसन वर्ष 2009–10 (जुलाई–जून) के दौरान चीनी का उत्पादन करने वाली अलग-अलग इकाईयों के कुल उत्पादन का 10% तक ।

8. यह छूट पटसन वर्ष 2009–10 के दौरान चीनी उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री के प्रयोग के लिए वैध होगी और उक्त वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री की खरीद 30 अप्रैल 2010 तक पूरी कर ली जानी चाहिए ।

9. इस छूट के किसी दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:–

(क) छूट प्राप्त एजेंसियां पटसन आयुक्त (जेसी) को विवरण प्रस्तुत करेंगी जिसमें 15 जून, 2010 तक इस छूट के आधार पर वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री की खरीद का ब्यौरा (पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) होगा ।

(ख) खरीदी गई वैकल्पिक सामग्री बीआईएस और आईएलओ मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ।

(ग) थैलों की ब्रांडिंग (वैकल्पिक सामग्री की) डीजीएसएंडडी के निदेशों के अनुसार और लागू नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए तथा गुणवता खाद्य मंत्रालय/आदेशकर्ता के निदेशों के अनुसार होनी चाहिए।

10. मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी मिलों द्वारा छूट के उपयोग को मॉनिटर करेगा और जेपीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करेगा तथा चूक की स्थिति में जेपीएम अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करेगा। मुख्य निदेशक (चीनी), एक समेकित रिपोर्ट 31 जुलाई, 2010 तक वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 9/7/2009–पटसन]

भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(JUTE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2010

S.O. 259(E).—Whereas, the Central Government vide Order No. S.O. 2409(E) dated 22nd September, 2009, (hereinafter referred to as the Principal ORDER) issued under the provision of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use In Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved foodgrain and sugar for 100% packaging in jute packaging material for the jute year 2009-10.

2. And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

3. And, whereas, Trade Unions operating in the Jute Industry proceeded on a continuous strike in the 52 jute mills located in West Bengal w.e.f. 14th December, 2009, on account of which, production in Mills in West Bengal has been adversely affected.

4. And, whereas, the Central Government has reviewed the demand of Jute Bags for packing sugar during 2009-10 Sugar Season (October-September) and the corresponding supply capacity of the jute industry and production loss on account of strike in consultation with Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

5. And, whereas, the Government of India has considered that the estimated requirement of packing material by the Sugar Industry for the Sugar Season 2009-10 will be approximately 2.01 lakh MT. The production loss during December 2009-January 2010 has been estimated around 26,000 MT. Thus, the Government is of the view that it is evident that under the current circumstances, Jute Industry may not be in a position to meet the estimated requirements of Sugar Industry during the Sugar Season 2009-10, if reservation for packaging of sugar in the jute packaging material is maintained at 100%.

6. And, whereas, it has been assessed by the Directorate of Sugar, Department of Food and Public Distribution that the packing of sugar by the Sugar Industry had commenced from November 2009, the loss of production due to strike during December 2009 and January 2010 is likely to cause shortfall in the supply of Jute Packaging Material.

7. Now, therefore, the Central Government being of opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provisions of Section] 16(1) of the JPM Act, hereby directs that the commodity specified in the column (2) of the schedule below shall be exempted from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging sugar in material other than jute) upto the extent mentioned in column (3) of the said Schedule during the jute year 2009-10.

SCHEDULE

Sl. No.	Commodity	Extent to which the principal order is diluted; that is, extent upto which the production (by each of the producer of the commodity) of the commodity can be packed in packaging material other than jute
1	2	3
	Sugar	Upto 10% of the total production of Sugar by the individual producing units during the Jute year 2009-10 (July-June)

8. This exemption. would be valid for use of alternate packing material used by Sugar industry during the jute year 2009-1 0, and the procurement of the said alternative packing material should be completed by April 30, 2010.

9. In order to prevent any misuse of this exemption, this order shall be subject to the following conditions :

(a) The exempted agencies shall furnish a return to the Jute Commissioner (JC) indicating the details of procurement of alternative packing material of the basis of this relaxation (in the format prescribed by the Jute Commissioner) by 15th June, 2010.

(b) Alternative packing material procured should be as per the BIS and ILO standards.

(c) Branding of the bags (of alternate material) should be strictly according to the directions of DGS&D and as per applicable rules and the quality shall be as per the directions of Department of Food and Public Distribution/Indentor.

10. Chief Director (Sugar) shall monitor the utilisation of exemption by the sugar mills and enforce the provisions of the JPM Act, and take action as per the JPM Act in case of default. Chief Director (Sugar) shall submit a consolidated report to Ministry of Textiles by July 31, 2010.

[F. No. 9/7/2009-Jute]

BHUPENDRA SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.